कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

40

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

इस्पात मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

चालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन ,1944(शक)

चालीसवां प्रतिवेदन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

इस्पात मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

21 .03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21 .03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944(शक)

सीसीएंडएस सं. .....

मूल्य:

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (_____संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और _____द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ

भाग–एक

समिति की संरचना ..... (i)

प्राक्कथन..... (ii).

अध्याय-एक	प्रस्तावना	1
अध्याय-दो	अनुदानों की मांगों का विश्लेषण	5
अध्याय-तीन	इस्पात क्षेत्र की पहलें.....	15
अध्याय-चार	योजना निवेश और पीएसयू का कार्यनिष्पादन	21
	क. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल).....	21
	ख. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)...	27
	ग. एनएमडीसी लिमिटेड.....	30
	घ. एमओआईएल लिमिटेड.....	33
	ड. केआईओसीएल लिमिटेड	36

भाग-दो

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियाँ/सिफ़ारिशें..... 39

अनुबंध

एक. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 27.02.2023 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश। 47

दो. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 15.03.2023 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश। 51

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर
4. श्री विजय कुमार हांसदाक
5. श्री कुनार हेम्ब्रम
6. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
7. श्रीमती कविता मलोथू
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्री एस.आर.पार्थिबन
12. श्रीमती रीती पाठक
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नी लाल साहु
15. श्री अरुण साव
16. श्री सौमित्र खान
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. श्री पशुपति नाथ सिंह
20. डॉ. थोल तिरुमावलवन
21. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

22. श्री सुब्रत बक्शी
23. श्रीमती महुआ माजी
24. श्री रवंगवरा नारजारी
25. श्री समीर उरांव
26. सुश्री सरोज पाण्डेय
27. श्री दीपक प्रकाश
28. श्री आदित्य प्रसाद
29. श्री धीरज प्रसाद साहू
30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
31. श्री बी. लिंगैय्या यादव

सचिवालय

1. श्री जे. एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक
3. श्रीमती हुमा इकबाल - कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी यह चालीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की माँगों को दिनांक 08.02.2023 को सभा पटल पर रखा गया था। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ड. के अंतर्गत, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों पर विचार करना और उनके संबंध में संसद की दोनों सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।

3. समिति ने दिनांक 27.02.2023 को इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 15.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने में दिए गए सहयोग और समिति के समक्ष अपना सुविचारित मत और दृष्टिकोण रखने के लिए उनका आभार व्यक्त करती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से, समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग - एक

अध्याय-एक

प्रस्तावना

इस्पात क्षेत्र रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के संदर्भ में राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसका आपूर्ति श्रृंखला और खपत उद्योग दोनों पर प्रत्यक्ष और संबद्ध प्रभाव पड़ता है जो समग्र अर्थव्यवस्था पर उत्प्रेरक असर डालता है।

1.2 एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जीवंत घरेलू इस्पात उद्योग आवश्यक है क्योंकि यह निर्माण, बुनियादी ढांचे, मोटर वाहन, पूंजीगत माल , रक्षा, रेलवे आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण आदान है। इस्पात अपनी पुनर्नवीनीकरण प्रकृति और त्वरित सहयोग पूर्णता समय के कारण तेज आर्थिक विकास के लिए चालक साबित हुआ है। चीन के बाद भारत इस्पात का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। तदनुसार, राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में वर्ष 2030 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा निर्धारित की गई है।

1.3 इस्पात मंत्रालय के मुख्य कार्य

- इस्पात के घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक अवस्थापना के विकास को बढ़ावा देना ।
- घरेलू और विदेशी स्रोतों के लिए कच्चे पदार्थों की समुचित उपलब्धता को सरलीकृत करना ।
- इस्पात उद्योग के विभिन्न खण्डों के लिए एक समग्र डाटा बेस का निर्माण और अद्यतन करना ।
- परियोजनाओं पर सीपीएसई और पूंजी व्यय के वास्तविक एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन का निरीक्षण करना ।
- समझौता ज्ञापनों में की गई प्रतिबद्धताओं के निष्पादन की निगरानी करना और सीपीएसई का आधुनिकीकरण तथा विस्तार कार्यक्रम।

- शोध एवं विकास और प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण एवं सुधारों के माध्यम से लौह एवं इस्पात उद्योग के प्रदर्शन में सुधार को सुविधाजनक बनाना।
- गुणवत्ता नियंत्रण और तकनीकी-आर्थिक मापदंडों में सुधार।
- प्रोत्साहन सम्बन्धी प्रयासों के माध्यम से इस्पात के लिए घरेलू माँग को बढ़ावा देना ।

1.4 सचिव, इस्पात मंत्रालय ने 2023-2024 की अनुदानों की मांगों पर मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष नोडल मंत्रालय की भूमिका निम्नानुसार बताई: -

"समिति इस बात से अवगत है कि भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। जीडीपी में इसका योगदान करीब 2 फीसदी है। इस क्षेत्र से लगभग 80 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।"

1.5 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) निम्नलिखित हैं:

1. **स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सेल) , नई दिल्ली**
2. **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) , विशाखापट्टनम**
3. **एनएमडीसी लिमिटेड , हैदराबाद**
4. **एमओआईएल लिमिटेड, नागपुर**
5. **केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलोर**
6. **एमईसीओएन लिमिटेड, रांची**
7. **एमएसटीसी लिमिटेड , कोलकाता**

नोट: बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (ओएमडीसी, बीएसएलसी और ईआईएल) आरआईएनएल की सहायक कंपनी हैं; एफएसएनएल एमएसटीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है; एसआरसीएल सेल की सहायक कंपनी है।

1.6 इस्पात मंत्रालय ने समिति को सूचित किया है कि इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर एक सुविधा प्रदाता के

रूप में कार्य करती है। इस्पात उत्पादन में वृद्धि से संबंधित निर्णय अलग-अलग कंपनियों द्वारा तकनीकी-वाणिज्यिक विचारण के आधार पर लिए जाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्यमों को कोई विशेष प्रोत्साहन/लाभ प्रदान करने के लिए इस्पात मंत्रालय की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

एनएसपी 2017 में निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:

क्रमांक.	मापदंड	अनुमान (2030-31) (एमटीपीए में)
1.	कच्चे इस्पात की कुल क्षमता	300
2.	कच्चे इस्पात की कुल माँग/ उत्पादन (एमटीपीए में)	255
3.	परिष्कृत इस्पात की कुल माँग/ उत्पादन (एमटीपीए में)	230

1.7 वर्ष 2023-24 के लिए मांग संख्या 97 को बजट सत्र के दौरान इस्पात मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया है। कुल माँग 70.15 करोड़ रुपये की है, जिनमें से 67.98 करोड़ रुपए राजस्व खंड के अंतर्गत तथा 2.17 करोड़ रुपये इस्पात मंत्रालय के पूँजी खंड के अंतर्गत हैं। इस माँग में सचिवालय व्यय के लिए 43.64 करोड़ रुपये (राजस्व खंड-41.47 करोड़ रुपये और पूँजी खंड-2.17 करोड़ रुपये)केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ,ओं के लिए 24.00 करोड़ रुपये और केन्द्रीय क्षेत्र संबंधी अन्य व्यय के लिए 2.51 करोड़ रुपये शामिल हैं।

1.8 इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2022-23) को 08.02.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। इस्पात मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों का विश्लेषण करते हुए समिति ने वर्तमान प्रतिवेदन में मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र

के उद्यमों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जांच की है। प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में विभिन्न मुद्दों पर समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विस्तृत विश्लेषण दिया गया है।

अध्याय-दो

अनुदानों की मांगों का विश्लेषण

2.1 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदानों की मांगों अर्थात विभिन्न मदों में वृद्धि/कमी का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विगत तीन वर्षों में अनुदान माँग में विभिन्न शीर्षों में वृद्धिकमी/ की प्रतिशतता का संक्षिप्त ब्यौरा:

तालिका सं.1

(करोड़ रुपये में)

व्यय का शीर्ष	ब.प्रा. 2020-21	सं.प्रा. 2020-21	वास्तविक 2020-21	ब.प्रा. 2021-22	सं.प्रा. 2021-22	वास्तविक 2021-22	ब.प्रा. 2022-23	सं.प्रा. 2022-23	वास्तविक2022-23 (31.01.2023 तक)	ब.प्रा. 2023-24	ब.प्रा. 2022-23 की तुलना में ब.प्रा. 2023-24 में कमी/बढ़ोत्तरी का %
सचिवालय											
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं/अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	38.58	29.34	29.06	32.78	36.73	33.54	40.51	39.25	32.03	43.64	7.73%
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं											
लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के संवर्धन	15.00	5.00	0.54	5.00	4.81	4.81	4.49	4.49	0.69	10.00	122.72 %

हेतु योजना											
भारत में वाणिज्यिक पोतों के लिए फ्लैगिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01 *	1.32	0.00	12.00	0.00	14.00	--
अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय											
विज्ञापन, प्रचार (आईईसी), योगदान (ओईसीडी सदस्यता), विशिष्ट धातुविज्ञानियों को पुरस्कार आदि	46.42	45.10	44.71**	1.47	1.46	0.48	2.00	1.98	0.76	2.51	25.50%
सकल योग	**100.00**	**79.44**	**74.31**	**39.25**	**43.01**	**40.15**	**47.00**	**57.72**	**33.48**	**70.15**	**49.26%**

*इस नईयोजना के अंतर्गत आश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक माँग के अनुदान 2021-22 के माध्यम से 0.01 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए तथा शेष 1.31 करोड़ रुपये को अनुदान के अंतर्गत उपलब्ध बचत से पुनर्विनियोजित किया गया।

**वित्त वर्ष 2020-21 में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय के तहत 44.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसे इस्पात जनरल अस्पताल (आईजीएच) राउरकेला के उन्नयन के लिए सेल को जारी किया गया था। वित्त वर्ष 2020-21 तक आईजीएच के लिए कुल धनराशि जारी कर दी गई है। अतः बजट प्राक्कलन 2021-22 से कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2023-24 के लिए बजटीय आवंटन

2.2 बजट प्राक्कलन 2023-24 में मांग संख्या 97 में शामिल कुल वित्तीय आवश्यकताओं का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका सं.2 *(करोड़ रुपये में)*

वर्ष 2023-24 के लिए माँग सं .97	बजट प्राक्कलन 2023-24			
	योजना	स्थापना संबंधी व्यय	केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	कुल
राजस्व खंड	24.00	41.47	2.51	67.98
पूँजी खंड	0.00	2.17	0.00	2.17
कुल (सकल)	**24.00**	**43.64**	**2.51**	**70.15**

इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित 2023-24 (बीई) के लिए वार्षिक योजना

2.3 समिति को यह बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहा और इस्पात उद्योग के कार्यसमूह की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2009-10 में एक आर एंड डी योजना अर्थात "लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का संवर्धन" की शुरुआत की है और तत्पश्चात इस योजना को आगे जारी रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य देश में लोहा और इस्पात क्षेत्र की आरएंडडी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरएंडडी परियोजनाओं को आगे बढाने हेतु हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना को 31 मार्च, 2021 से अगले 5 वर्ष (2021-22 से 2025-26 तक) की अवधि तक जारी रखने का अनुमोदन प्राप्त है। इस्पात मंत्रालय ने इस योजना के लिए 10.00 करोड़ रुपए कि मांग की है।

2.4 समिति को यह भी बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की 'भारत में वाणिज्यिक पोतों की फ्लैगिंग का संवर्धन' योजना नामक एक योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों/विभागों तथा सीपीएसई द्वारा जारी की जाने वाली वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को

सब्सिडी सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। यह योजना पाँच वर्षों की अवधि अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए लागू है। मंत्रालय ने इस योजना के लिए 14 करोड़ रुपए कि मांग की है। वित्त मंत्रालय ने दोनों योजनाओं के लिए मांगी गई राशि को अनुमोदित कर दिया है।

2.5 समिति को बताया गया है मंत्रालय की आरएंडडी योजना के लिए बीई 2022-23 और आरई 2022-23 के तहत 4.49 करोड़ आवंटित किए गए थे। दिसंबर, 2022 तक, आरएंडडी योजना के लिए व्यय 0.69 करोड़ रूपए था। शेष राशि का उपयोग वित्त वर्ष के अंत तक किए जाने की संभावना है। बीई 2022-23 में भारत में वाणिज्यिक पोतों की फ्लैगिंग योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि आरई 2022-23 में, 12 करोड़ रूपयों की राशि मांगी गई थी, जो वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। दिसंबर, 2022 तक योजना के तहत कोई व्यय नहीं हुआ है।

2.6 मंत्रालय की अन्य योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर समिति को बताया गया है कि सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी); ओईसीडी/जीएफएसईसी के लिए सदस्यता शुल्क तथा विशिष्ट धातु विज्ञानियों, हेतु पुरस्कार के लिए प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय के तहत किया गया है। आईईसी के तहत भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईआईटीएफ) में भाग लेने, पीएलआई योजना, चक्रीय अर्थव्यवस्था, इस्पात निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने जैसे मंत्रालय के विभिन्न पहलों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलनों में भाग लेना, वित्त वर्ष 2023-24 में आयोजित होने वाले इंडिया स्टील 2023, इस्पात उद्योग से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में भाग लेने और जागरुकता बढ़ाने, क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण हेतु कार्रवाई करने और इस्पात मंत्रालय के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार-प्रसार हेतु सोशल मीडिया प्रबंधन सेवा के नियोजन के खर्चों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

2.7 इस्पात मंत्रालय के अधीन सीपीएसई पूंजीगत व्यय के लिए अपने आंतरिक और बजटेत्तर संसाधनों (आईईबीआर) का उपयोग करते हैं। **2019-20, 2020-21** और **2021-22** के दौरान सीपीएसई का आईईबीआर और इसका उपयोग नीचे दिया गया है:

सीपीएसई के आईईबीआर के संबंध में सूचना नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका सं. 3 *(करोड़ रूपये में)*

सं.	पीएसयू/संगठन का नाम	2022-23 अनुमोदित आईईबीआर		वास्तविक व्यय 2022-23 (दिसंबर, 2023 तक)	आरई 2022-23 के संबंध में दिसंबर, 2022 तक प्रतिशत उपयोग	आरई 2022-23 के संबंध में 31.03.2023 तक संभावित उपयोग
		बी ई	आर ई			
1	सेल	8000.00	6803	3249.00	47.76	6803.00
2	आरआईएनएल	910.00	603.00	420.19	69.68	603.00
3.	एनएमडीसी लि.*	3512.00	2012.00	993.00	49.35	2012.00
4.	एनएमडीसी स्टील लि. (एनएसएल)*	0.00	1500.00	1143.00	76.20	1500.00
5.	केओआईसीएल लि.	384.63	384.63	72.09	18.74	451.49
6.	मॉयल लि.	304.58	242.58	139.01	57.30	242.58
7.	मेकॉन लि.	17.25	17.25	9.32	54.03	17.25
8.	एमएसटीसी लि.	10.00	10.00	2.87	28.70	10.00
9.	एफएसएनएल	18.00	18.00	14.61	81.17	18.00
	कुल	**13156.46**	**1590.46**	**6043.09**	**56.84**	**11657.32**

पीएसयू का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
	नियोजित आईईबीआर	वास्तविक कैपेक्स	नियोजित आईईबीआर	वास्तविक कैपेक्स	नियोजित आईईबीआर	वास्तविक कैपेक्स (जनवरी, 2023 तक)

सेल	4800.00	4283.00	8000.00	6013.00	6803.00	3783
आरआईएनएल	534.00	737.39	730.00	738.55	603.00	435.91
एनएमडीसी	2249.00	2031.00	3720.00	2849.00	2012.00	1067.00
एनएसएल*	--	--	--	--	1500.00	1362.00
केआईओसीएल	342.00	41.05	653.60	290.45	384.63	406.61
मॉयल	220.00	136.66	216.63	215.58	242.58	165.07
एमएसटीसी	34.00	20.56	17.40	15.30	10.00	3.15
एफएसएनएल	14.00	13.48	11.00	12.46	18.00	14.93
मेकॉन	7.75	3.22	12.51	12.99	17.25	9.90
एसआरसीएल	0.50	0.34	0.86	0.00	0.00	0.00
ओएमडीसी (बीजीसी)	71.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (%)	**8272.26**	**7266.72 (87.84%)**	**13362.00**	**10147.33 (75.94%)**	**11590.46**	**7247.96 (62.53%)**

* *वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, एनएमडीसी लिमिटेड की इकाई नागरनार इस्पात संयंत्र (एनआईएसपी) को एक पृथक विधिक निकाय अर्थात् एनएमडीसी स्टील लिमिटेड (एनएसएल) के रूप में डिमर्ज कर दिया गया है। एनआईएसपी से संबंधित कैपेक्स को छमाही बही-खातों में एनएसएल को अंतरित कर दिया गया है और एनएमडीसी लिमिटेड और एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के कैपेक्स को बजट दस्तावेजों में अलग-अलग प्रकाशित किया गया है।*

वार्षिक योजना 2023-24 और 2024-25 के लिए अग्रिम योजना बनाना

2.8 वार्षिक योजना वर्ष 2023-24 तैयार करने की कवायद पहले से ही पूरी की जा चुकी है और आईईबीआर/जीबीएस के अनुसार इसे अंतिम रूप दे दिया गया है। समिति को बताया गया

है कि वार्षिक योजना वर्ष 2024-25 की कवायद नवंबर-दिसंबर, 2023 के दौरान प्रारंभ की जाएगी। आकलन के आधार पर नीचे दी गई तालिका में एक अस्थायी परिव्यय का अनुमान लगाया जा रहा है:

वार्षिक योजना वर्ष 2024-25 के लिए योजना परिव्यय हेतु अनुमान (अस्थायी)

तालिका 4 (करोड़ रुपये में)

सं.	पीएसयू/संगठन का नाम	आईईबीआर	जीबीएस	कुल
क.	इस्पात मंत्रालय की योजना			
1.	लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आर एडं डी के संवर्धन के लिए योजना	0.00	10.00	10.00
2.	भारत में वाणिज्यिक पोतों की फ्लैगिंग	0.00	41.50	41.50
3.	विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना	0.00	775.00	775.00
ख.	**इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई**			
1.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है	0.00	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	556.00	0.00	556.00
3.	एनएमडीसी लि.	2200.00	0.00	2200.00
4.	एनएमडीसी स्टील लि.(एनएसएल)	358.00	0.00	358.00
5.	केआईओसीएल लि.	237.00	0.00	237.00
6.	मॉयल लि.	250.00	0.00	250.00
7.	मेकॉन लि.	5.00	0.00	5.00
8.	एमएसटीसी लि.	3.00	0.00	3.00
9.	फैरो स्क्रैप निगम लि.	18.00	0.00	18.00

10.	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लि.	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है	0.00	अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है

इस्पात के वास्तविक लक्ष्य

2.9 इस्पात क्षेत्र में रुझानों और विकास के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नलिखित जानकारी दी गई है।

- दिसम्बर 22, 2022 को विश्व इस्पात संघ (डब्लूएसए) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, जनवरी से दिसम्बर 2022 (अस्थायी) की अवधि के दौरान, भारत कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था ।
- पीछे पाँच वर्षों में, कच्चे इस्पात का उत्पादन 2018 में 109.25 मिलियन टन (एमटी) से बढ़कर 2022 में 124.72 एमटी (अस्थायी) हो गया । 2022 में कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2021 की तुलना में 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई ।

- कच्चे इस्पात की घरेलू क्षमता में 2018 में 142.236 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2022 में 157.585 एमटीपीए की वृद्धि दर्ज की गई ।

पिछले पाँच वर्षों (2018-2022) के दौरान, कुल परिष्कृत इस्पात के उत्पादन, खपत, आयात एवं निर्यात और कच्चे इस्पात के उत्पादन पर विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:-

तालिका 5

	(मिलियन टन में)				
आइटम	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022***
कच्चा इस्पात					
उत्पादन	109.250	111.344	100.256	118.201	124.720
परिष्कृत इस्पात					
उत्पादन	100.574	104.062	92.231	111.953	118.714
खपत	96.737	102.622	89.331	106.226	114.894

आयात	7.295	7.440	4.463	5.001	5.615
निर्यात	6.692	8.205	10.150	12.799	7.906
स्रोत: जेपीसी; अस्थायी, जनवरी-दिसम्बर, 2022					

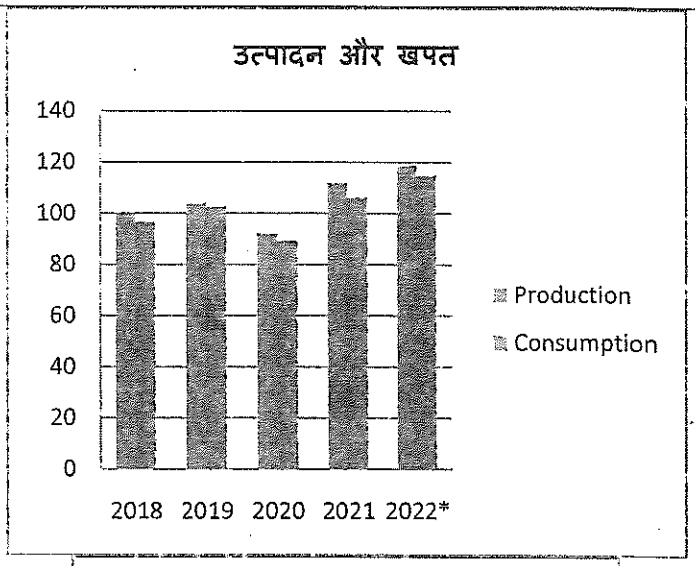

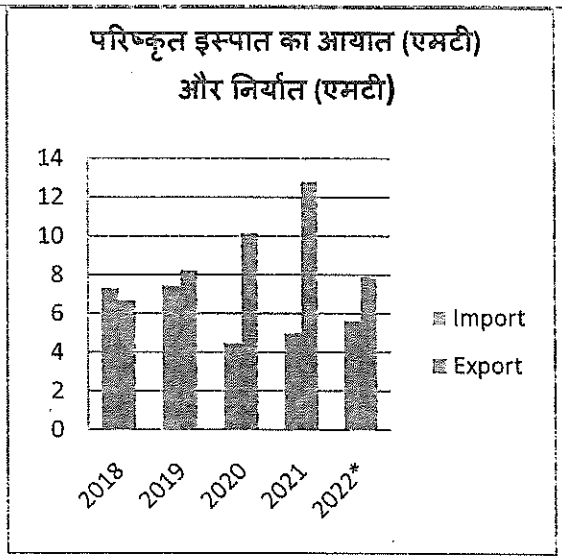

वर्ष 2022 के दौरान, भारतीय इस्पात क्षेत्र के तथ्य:

तालिका 6

भारतीय इस्पात का दृश्य: 2022*		
कुल परिष्कृत इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र धातु)	**मात्रा (एमटी)**	**% बदलाव**
उत्पादन	118.714	6.0
आयात	5.615	12.3
निर्यात	7.906	-38.2
खपत	114.894	8.2
कच्चा इस्पात		
उत्पादन	124.72	5.5
क्षमता का उपयोग (%)	79	-
स्रोत: जेपीसी; *अस्थायी, जनवरी-दिसम्बर 2022		

अध्याय तीन

इस्पात क्षेत्र की पहलें

3.1 इस्पात मंत्रालय के सचिव ने अनुदान की मांगों 2023-2024 पर मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष नोडल मंत्रालय की भूमिका निम्नानुसार बताया:-

"अप्रैल, 2022 से जनवरी, 2023 की अवधि पर नजर डालें तो इस्पात का उत्पादन करीब 10 लाख टन रहा है, जो पिछले साल की तुलना में करीब साढ़े छह फीसदी अधिक है। घरेलू खपत पर नजर डालें तो यह 97.1 मिलियन टन थी, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले करीब 11.7 फीसदी ज्यादा है। घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन देखें तो यह 103.5 मिलियन टन है और पिछले साल की तुलना में 4.6 प्रतिशत अधिक था।"

3.2 समिति को बताया गया कि मंत्रालय ने उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। कुछ प्रमुख पहलें नीचे सूचीबद्ध हैं।

(एक) प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम: विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए पीएलआई योजना को मंत्री परिषद् द्वारा 6322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 से आरम्भ होगी (पीएलआई वित्त वर्ष 2024-25 में जारी की जाएगी) । विशेष इस्पात के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के अंतर्गत, 30 कंपनियों के 67 आवेदनों का चयन किया गया है । यह 26 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता और 70000 की रोजगार सृजन क्षमता के साथ रु. 42500 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश को आकर्षित करेगा ।

(दो) पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान: इस्पात क्षेत्र में रसद संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, इस्पात मंत्रालय देश में कार्यरत 2100 से अधिक इस्पात इकाइयों के भौगोलिक स्थानों को अपलोड करके पीएम गति शक्ति मास्टरप्लान पर बुनियादी ढांचे के उपयोगकर्ता के रूप में शामिल हो गया है।

(तीन) इस्पात की गुणवत्ता नियंत्रण: इस्पात और इस्पात उत्पादों पर कुल 145 भारतीय मानकों को अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है । ये आदेश अधोमानक इस्पात उत्पादों के आयात, बिक्री और वितरण पर रोक लगाते हैं । इनमें से क्यूसीओ संबंधी 144 भारतीय मानकों को लागू किया गया है।

(चार) सुरक्षा दिशानिर्देशों के सूत्र: भारतीय इस्पात क्षेत्र में कार्य करने हेतु वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने "लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश" शीर्षक से एक पुस्तक के रूप में 25 सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं । ये दिशानिर्देश भारतीय इस्पात उद्योग (बड़े और छोटे दोनों) द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों/खतरों से संबंधित हैं। ये दिशानिर्देश इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। भारतीय इस्पात उद्योग और इसके संघों के हितधारकों से आग्रह किया गया है कि वे कार्यबल के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने हेतु इन दिशानिर्देशों को पूरे तौर पर अपनाएँ।

(पांच) सरकार ने सरकारी निविदाओं में घरेलू रूप से उत्पादित लोहे और इस्पात सामग्री को वरीयता देने के लिए 2017 में डीएमआई और एसपी नीति की शुरूआत की थी। इसके अलावा, इस उद्देश्य को ठीक करने के लिए नीति को 2019 और 2020 में संशोधित किया गया था। नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह नीति सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआईएंडएसपी) को वरीयता प्रदान करती है।
- इस नीति में लौह और इस्पात के 49 विनिर्मित उत्पादों की एक सूची सम्मिलित है । इस नीति में लोहा और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान भी सम्मिलित है ।
- हालाँकि, पूर्व में लौह और इस्पात के 49 उत्पादों पर घरेलू सामग्री को 15-50 प्रतिशत के रूप में निर्दिष्ट किया गया था, फिर भी 49 उत्पादों की नई सूची में 20-50 प्रतिशत के बीच रहने वाला निर्धारित मूल्य संवर्धन न्यूनतम होता है जो सरकारी अनुबंधों में

आयातित इस्पात के लिए घरेलू बोलीदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन बना देता है ।

- प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, आने वाली सभी एजेंसियाँ/संस्थाएँ इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित डीएमआई और एसपी नीति के दायरे में आते हैं । केंद्रीय क्षेत्र की सभी योजनाएँ (सीएस)/ केंद्रीय रूप से प्रायोजित सभी योजनाएँ (सीएसएस) जिनके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है, इस नीति के दायरे में आते हैं, यदि वह परियोजना/ योजना भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से/आंशिक रूप से वित्त पोषित होता है
- यह नीति उन परियोजनाओं पर लागू होती है, जिसमें लौह और इस्पात उत्पादों का खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक होता है । यह नीति अन्य खरीद (गैर-परियोजना) के लिए भी लागू होती है, जिसमें उस सरकारी संगठन के लिए लौह और इस्पात उत्पादों का वार्षिक खरीद मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक होता है । हालांकि, खरीद संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति के प्रावधानों से बचने के उद्देश्य से खरीद को विभाजित नहीं किया गया है ।
- यह नीति ईपीसी अनुबंध को पूरा करने के लिए निजी एजेंसियों द्वारा लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद और/या मंत्रालय या सरकारी विभाग या उनके सीपीएसई की किसी अन्य आवश्यकता के लिए और निर्धारित गुणवत्ता मानक; जैसा भी प्रयोजन हो, के अनुपालन में लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर भी लागू होती है ।
- लौह और इस्पात उत्पादों की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई भी वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई) आमंत्रित नहीं की जाएगी । लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की खरीद से संबंधित निविदाओं के लिए कोई भी वैश्विक निविदा पूछताछ (जीटीई) आमंत्रित नहीं किया जाएगा जिसका अनुमानित मूल्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना रु. 200 करोड़ तक है, जैसा कि व्यय विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है ।

(छह) आयात के आँकड़ों के प्रसार के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) : इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को संस्थागत रूप दिया गया है जो इस्पात आयात पर सूक्ष्म आँकड़ा प्रदान करने के लिए इस्पात के इच्छित आयातों के अग्रिम पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन मंच है जिससे आयातों में किसी भी उछाल के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के अतिरिक्त, घरेलू विनिर्माण की योजना बनाने के लिए देश में आयात किया जा रहे सटीक श्रेणी को पहचानने में 15-60 दिन अग्रिम में मंत्रालय और उद्योग को सहायता प्रदान किया जा सके । दिनांक: 1 नवंबर 2019 को पोर्ट ऑफ एंट्री पर आरंभ किए गए आयात के खेप के लिए दिनांक: 16 सितंबर 2019 को एसआईएमएस मंच का शुभारंभ किया गया था । एसआईएमएस पंजीकरण पूरी तरह से ऑनलाइन है और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित है और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित टोकन पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद इस्पात आयातक द्वारा पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है ।

(सात) इस्पात का मूल्य: महत्वपूर्ण कच्चे माल और मध्यवर्तियों जिनमें लोहा और इस्पात सम्मिलित है, की ऊँचे मूल्यों से राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कुछ उपाय किए गए। तदनुसार, दिनांक: 21.05.2022 के अधिसूचना के माध्यम से इस्पात और इस्पात के अन्य उत्पादों के कच्चे माल पर शुल्क में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा एन्थ्रेसाइट/ पल्वराइस्ड काल इंजेक्शन (पीसीआई) कोयला, कोक और सेमी-कोक और फेरो-निकल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया । लौह अयस्क/ कंसन्ट्रेट और लौह अयस्क पेलेट पर निर्यात शुल्क को क्रमशः 50% और 45% तक बढ़ा दिया गया । इसके अतिरिक्त, पिग आयरन और इस्पात के कई उत्पादों पर 15% निर्यात शुल्क लगा दिया गया । इस्पात के सामग्रियों के मूल्य सीधे-सीधे ~15-25% तक नीचे गिर गए और उपरोक्त उपायों के परिणामस्वरूप स्थिर हो गए । सभी सम्बंधित हितधारकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिसूचना को दिनांक: 18.11.2022 की अधिसूचना के माध्यम से रद्द कर दिया गया है और दिनांक: 21.05.2022 के पूर्व की स्थिति को बहाल कर दिया गया है ।

इस्पात मंत्रालय के सचिव ने 27 फरवरी, 2023 को आयोजित साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि:

"जैसा कि हम जानते हैं कि इस्पात क्षेत्र भौतिक रूप से एक प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र है। प्रत्येक टन लौह इस्पात का उत्पादन करने के लिए 1.6 टन लौह अयस्क,0.9 मिलियन टन कोकिंग कोल आदि की आवश्यकता है। इसके साथ ही डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस क्षेत्र को बहुत भौतिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि भारत ने 300 मिलियन टन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के अनुसार हमें यहां खनन सुधार भी करना चाहिए, ताकि इन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।"

(आठ) कोयला: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 42% इस्पात उत्पादन में कोकिंग कोल लागत का एक प्रमुख घटक है, इस्पात मंत्रालय आयात गंतव्यों में विविधता लाकर कोकिंग कोयले पर आयात बिल को कम करने का प्रयास कर रहा है । इस्पात निर्माण में उपयोग होने वाले कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर भारत सरकार के इस्पात मंत्री और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्री ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं । एमओयू से कोकिंग कोल के स्रोतों में विविधता लाकर भारतीय इस्पात क्षेत्र को लाभ होगा, जिससे भारत को उच्च गुणवत्तायुक्त कोकिंग कोल की आपूर्ति की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता (2035 तक 40एमटी तक) के कारण इस्पात के उत्पादकों के लिए इनपुट के लागत में कमी आ सकती है । इस एमओयू में कोकिंग कोल क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं/ वाणिज्यिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें कोकिंग कोल भंडारों का विकास और संभार-तंत्र का विकास, कोकिंग कोल उत्पादन के प्रबंधन में प्राप्त अनुभव को साझा करना, खनन की प्रौद्योगिकी, बेनिफिशिएशन, प्रसंस्करण के साथ-साथ प्रशिक्षण भी सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त, समझौता ज्ञापन में दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की भी परिकल्पना की गई है ।

(नौ) मैंगनीज: एमओआईएल ने अपने मौजूदा शाफ्टों को गहरा करने, मौजूदा खानों में नए शाफ्टों की सिंकिंग और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में नए आवश्यक पट्टा क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं ताकि 2030 तक उत्पादन को 1.14 मीट्रिक टन से 3.00 मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सके।

(दस) स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति 2019: इस्पात मंत्रालय ने स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति जारी की है। नीति का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:

3.3 इस्पात क्षेत्र में जारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।

• एक औपचारिक और वैज्ञानिक संग्रह को बढ़ावा देने के लिए, जीवन के अंतिम उत्पादों के लिए विखंडन और प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु जो रिसाइकिल योग्य (लौह, गैर-लौह और अन्य गैर-धातु) स्क्रैप के स्रोत हैं जो संसाधन संरक्षण और ऊर्जा की बचत और फेरस स्क्रैप की हैंडलिंद के लिए पर्यावरण की दृष्टि से एक ध्वनि प्रबंधन प्रणाली स्थापना को बढ़ावा देंगे।

• एक संगठित, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्पादों का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण।

• सभी हितधारकों को शामिल करके एक उत्तरदायी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना।

• गुणवत्तापूर्ण इस्पात उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले फेरस स्क्रैप का उत्पादन करना और इस प्रकार आयात पर निर्भरता को कम करना।

• ईएलवी से भारतीय शहरों में भीड़-भाड़ कम करना और फेरस स्क्रैप का पुन: उपयोग करना।

अध्याय- चार

योजना निवेश और पीएसयू का कार्यनिष्पादन

4.1 वर्ष 2023-24 के लिए इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई के आंतरिक और बजट से इतर संसाधन (आईईबीआर) नीचे दिए गए हैं:

तालिका 7

(करोड़ रूपये में)

सं.	पीएसयू का नाम	ब.अ. 2023-24		
		आईईबीआर	बजटीय सहायता	कुल
1	सेल	6800.00	0.00	6800.00
2	आरआईएनएल	683.00	0.00	683.00
3	एनएमडीसी लिमिटेड	1630.00	0.00	1630.00
4	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड(एनएसएल)*	570.00	0.00	570.00
5	केआईओसीएल लिमिटेड	286.88	0.00	286.88
6	मॉयल लिमिटेड	290.25	0.00	290.25
7	मेकॉन लिमिटेड	15.72	0.00	15.72
8	एमएसटीसी लिमिटेड	5.00	0.00	5.00
9	एसएसएनएल	20.00	0.00	20.00
	कुल	**10300.85**	0.00	**10300.85**

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)

4.2 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत कंपनी है, और एक "महारत्न" केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इसके भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखंड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र हैं।

4.3 मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए सेल की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

• कच्चे इस्पात का उत्पादन 13.337 मीट्रिक टन और तैयार इस्पात का उत्पादन 10.918 मीट्रिक टन (दिसंबर, 2022 तक) हासिल किया गया है।

• सीपीएलवाई के दौरान 72,220 करोड़ रुपये की तुलना में 74810 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार (दिसंबर, 2022 तक) हासिल किया गया है।

• सीपीएलवाई के दौरान 12,829 करोड़ रुपये के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की तुलना में 1157 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2022 तक) पंजीकृत किये गये है।

• सीपीएलवाई के दौरान 9597 करोड़ रुपये की तुलना में 854 करोड़ रुपये कर उपरांत लाभ (पीएटी) (दिसंबर, 2022 तक) हासिल किए गए हैं

• कंपनी की नेट वर्थ 31.03.21 को 43,495 करोड़ रुपये 31.03.22 को 52,017 करोड़ रुपये और 31.12.2022 को 52,190 करोड़ रुपये थी।

4.4 समिति को लिखित उत्तर में बताया है कि सेल के वर्ष 2022-23 के योजना और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नवत है:

करोड़ रुपये में

2022-23 अनुमोदित परिव्यय		
ब.अ.	**सं.अ.**	**वास्तविक व्यय (जनवरी, 2023 तक)**
8000	6803	3783

4.5 मंत्रालय ने समिति को अपने लिखित उत्तर में बताया है कि सेल की 04 प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है:-

तालिका 9

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मुल/सभावित समापन तिथि (महीनों में विलंब)**	**मूल/सशोधित लागत (करोड़ रुपयेमें)**	**जनवरी 2022 तक का व्यय (करोड़ रुपये में)**	**समय/लागत में वृद्धि के प्रमुख कारण**

1	बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) में नया सिंटर संयंत्र	अक्तूबर'2017/ नवंबर'22 (61 महीने)	1111.24/ 1111.24 लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई	571.6	• साइट की अनुपलब्धता के कारण प्रारंभिक विलंब • पर्यावरण मंजूरी के नवीकरण में विलंब • कोविड-19 महामारी के कारण साइट का कार्य प्रभावित हुआ। • • ठेकेदार द्वारा खराब प्रगति। ठेकेदार को वितीय सहायता दिए जाने के बावजूद प्रगति में सुधार नहीं किया जा सका
2	बीएसएल में सीओबी -8 का पुनर्निर्माण	जून 2019 / मई 2022 (35 महीने)	285.06/ 285.06 लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई	209.03	• मुख्य ठेकेदार (मैसर्स मेकॉन) द्वारा बैटरी प्रॉपर के सिविल कार्य के लिए ठेका देने में विलंब, ठेकेदार द्वारा संसाधन जुटाने में खराब आवंटन आदि। • सिविल कार्यों के लिए उप-ठेकेदार ने भुगतान संबंधी मुद्दों के कारण 3 महीने के लिए काम बंद किया • विघटित बैटरी के डेक स्लैब की मरम्मत कार्य में विलंब • ग्रिप सुरंग में बारिश के पानी का रिसाव, अत: इसकी मरम्मत की आवश्यकता है •कोविड-19 महामारी के कारण साइट का कार्य प्रभावित हुआ।
3	राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोक हैंडलिंग और गैस हैंडलिंग सुविधा के	• मई 2023/ मई 2023 में कोई विलंब	433.58/ 433.58 लागत में कोई वृद्धि	56.05	शून्य

	संवर्धन के साथ सीओबी -2 का पुनर्निर्माण (आरएसपी)	नहीं हुआ	नहीं हुई		
4	भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में कोक ओवन बैटरी नंबर 7 और 8 का पुनर्निर्माण	• दिसंबर 2023/ दिसंबर 2023 में कोई विलंब नहीं हुआ	625.1/ 625.1 लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई	84.81	शून्य

4.6 सेल द्वारा प्राप्त वास्तविक लक्ष्यों के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नलिखित विवरण दिया गया: -

(इकाई: मिलियन टन (एमटी))

सेल	2020-21	2021-22	2022-23*
गर्म धातु	16.58	18.73	14.16
कच्चा इस्पात	15.21	17.36	13.33
विक्रेय इस्पात	14.60	16.89	12.54

*दिसंबर, 2022 तक

4.7 देश में इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए सेल द्वारा की गई पहलों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने समिति को निम्नवत बताया है।

सेल पूरे देश में इस्पात उपयोग जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप करता रहा है। "सेल स्टील - गांव की ओर" विशेष रूप से इस्पात के उपयोग के फायदों पर ग्रामीण भारत को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण कार्यशालाओं का आयोजन करना है।

i. खुदरा उपस्थिति बढ़ाने के लिए, सेल ने खुदरा ब्रांड "सेल-एसईक्यूआर" लॉन्च किया है, जिसे सुरक्षित घरों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले इस्पात के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। सेल विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से विज्ञापन देकर इस्पात के उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है।

ii. सेल ने इस्पात आधारित डिजाइन और निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित की हैं। सेल सरकारी परियोजनाओं में इस्पात के

उन्नत और अभिनव उपयोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहा है.

iii. सेल स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में इस्पात डिजाइन विशिष्ट ऐच्छिक पेश करने और आईआईटी बॉम्बे तकनीकी कार्यक्रम में स्टील आधारित डिजाइनों के लिए एक प्रतियोगिता "एनकोड स्टील" पेश करने हेतु आईआईटी बॉम्बे के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है.

iv. सेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात गहन कम लागत वाले आवास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रालयों के प्रमुख अधिकारियों के समक्ष प्रोटोटाइप डिजाइन के साथ प्रस्तुतियां दी हैं।

4.8 समिति ने मंत्रालय के साथ हुई बैठक के दौरान पिछले कुछ वर्षों में सेल द्वारा हासिल किए गए वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में पूछा और क्या वह उक्त प्रगति से संतुष्ट है। इस संबंध में सेल के अध्यक्ष ने उत्तर दिया:-

" वर्ष 2019-20 में हमने जो किया था, यानी हमारा उत्पादन वर्ष 2020-21 की तुलना में कम था, यह कोविड के कारण हुआ। बाजार की कमी के कारण हमें ब्लास्ट फर्नेस बंद करनी पड़ी। वर्ष 2021-22 में हमारे पास कच्चे इस्पात में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्योंकि आधार कम हो गया था. वर्ष 2022-23 में अब तक कच्चे इस्पात के उत्पादन में 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इसमें हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, रेक की उपलब्धता का होना बिजली क्षेत्र की प्राथमिकता बन चूकी है, लेकिन रेक की उपलब्धता में बाधा है और हमारा कोकिंग कोयला बंदरगाह पर लंबे समय से पड़ा हुआ है और हम इसे लाने में सक्षम नहीं हैं। यह उत्पादन को प्रभावित करता है।"

4.9 सेल संयंत्रों के लिए संयंत्र-वार जानकारी नीचे दी गई है:

संयंत्र-वार जानकारी

परियोजना संयंत्र/इकाई का नाम	2020-21		2021-22		2022-23 (जनवरी, 23 तक)	
	नियोजित आईईबीआर परिव्यय (संअं.)	वास्तविक उपयोग	नियोजित आईईबीआर परिव्यय (संअं.)	वास्तविक उपयोग	नियोजित आईईबीआर परिव्यय (संअं.)	वास्तविक उपयोग

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	1348	1075	1865	1888	1589	1136
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	293	287	525	351	642	273
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	1308	1388	1819	1153	1589	891
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	1190	1108	1592	876	1247	617
इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	313	313	565	547	618	347
अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी)	4	1	5	1	12	2
सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	11	10	9	6	22	10
विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी)	6	2	8	1	14	6
झारखंड ग्रुप ऑफ माइन्स (जेजीओएम)	281	75	340	133	205	114
कोलरीज					128	25
ओडिशा ग्रुप ऑफ माइन्स (ओजीएम)					180	133
केन्द्रीय इकाई (सीयू)	41	20	1265	1055	531	227
चंद्रापुर फेरो अलॉय संयंत्र (सीएफपी)	5	3	5	2	25	3
कुल	**4800**	**4283**	**8000**	**6013**	**6803**	**3783**

नकदी प्रवाह और कैपेक्स व्यय में कमी आने के मुख्य कारण:

- संविदाकारों की ओर से खराब प्रतिक्रिया और व्यापारिक विचलनों के कारण नई परियोजनाओं की निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलंब। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए नियोजित नई परियोजनाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के परिणामस्वरूप परियोजना

को निर्धारित समय पर पूरा करने में देरी के कारण नई परियोजनाओं के प्रति अपर्याप्त नकदी प्रवाह हुआ।

- चुकौती क्षमता से अधिक ऋण की स्थिति कारण, प्रमुख जारी परियोजनाओं/स्कीमों (500 करोड़ रु. और अधिक) के शेल्फ में कमी/ अभाव था जिसकी बड़ी कैपेक्स पहलों को बनाए रखने के लिए जरूरत थी।

इस्पात मदों पर निर्यात शुल्क, युक्रेन में युद्ध, के प्रभाव के कारण मंदी का वैश्विक परिदृश्य और कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि ने भारत में इस्पात बाजार और सेल के तिमाही-1 और तिमाही-2 के निष्पादन पर भी पूरी तरह से प्रभाव डाला है।

<u>राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)</u>

4.10 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में देश का पहला तट-आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र है। आरआईएनएल का विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में 7.3 एमटीपीए तरल इस्पात क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसके अलावा, कंपनी तीन खानों आंध्र प्रदेश में जग्गयापेटा खदानें (चूना पत्थर), गर्भगृह (मैंगनीज) खान और तेलंगाना राज्य में मधराम खदानें (डोलोमाइट) का संचालन करती है। आरआईएनएल की एक सहायक कंपनी, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) है, जिसमें 51% शेयरधारिता है, जिसकी 2 सहायक कंपनियां हैं, मेसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मेसर्स बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी)। आरआईएनएल ने आयात प्रतिस्थापन के लिए भारतीय रेलवे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लालगंज, उत्तर प्रदेश में फोर्जड पहिया संयंत्र (एफडब्ल्यूपी) की स्थापना की।

4.11 वर्ष 2022-23 के लिए आरआईएनएल के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

- 2.909 एमटी कच्चे इस्पात का उत्पादन और 2.722 एमटी बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन किया गया ।

- सीपीएलवाई में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में हुई 71% वृद्धि की तुलना में 2.494 एमटी परिष्कृत इस्पात घटक में 92% की वृद्धि दर्ज की गयी ।
- सीपीएलवाई में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन (2.722 एमटी में से 0.742 एमटी) में 18% वृद्धि की तुलना में हाई एंड मूल्य वर्धित इस्पात घटक में 27% वृद्धि दर्ज की गयी ।
- रु. 14,858 करोड़ की घरेलू बिक्री और रु. 760 करोड़ की निर्यात बिक्री के साथ, रु. 15,618 करोड़ की कुल बिक्री हुई ।
- 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी को 3175 करोड़ रु.और 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार 479 करोड़ रु. की कुल आय हुई ।
- रु. (-)2751.94 करोड़ की पीबीटी (अस्थायी, दिसम्बर 2022 तक) दर्ज की गयी है ।
- रु. (-)2751.34 करोड़ की पीएटी (अस्थायी, दिसम्बर 2022 तक) दर्ज की गयी है ।

4.12 इस्पात मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तरों में समिति को आरआईएनएल का निम्नलिखित परियोजना-वार परिव्यय प्रस्तुत किया है:-

तालिका 11

(करोड़ रु. में)

योजना/परियोजना का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
	नियोजित आईईबीआर परिव्यय	वास्तविक उपयोग	नियोजित आईईबीआर परिव्यय	वास्तविक उपयोग	नियोजित आईईबीआर परिव्यय	वास्तविक उपयोग (जनवरी,23 तक)
फोर्ज्ड व्हील संयंत्र (2251.43 करोड़)	148	188.75	222	157.72	185	121.13
कोक ओवन बैटरी-5 (2858 करोड़)	230	231.99	125	231.89	150	98.86
ईएसपी के 4 बॉयलरों का पुनरोत्थान	-	6.44	46	38.27	40	32.86

(169.44 करोड़)						
बीएफ 1 और 2 की कैटेगरी-I पूँजीगत मरम्मत (1662.58 करोड़)	11	24.22	11	17.65	-	11.83
केंद्रीय प्रेषण यार्ड (336.32 करोड़)	30	39.85	17	11.97	6	7.05
एसपी उत्पादकता का उन्नयन (358 करोड़)	15	28.37	11	3.65	-	8.75
अन्य योजनाएं	30	59.50	23	24.10	26	18.46
इंड एएस स्पेयर्स और अन्य कैपेक्स	-	120.89	130	134.80	140	110.17
विविध	70	37.17	145	118.5	56	26.8
कुल (%)	**534**	**737.39 (138%)**	**730**	**738.55 (101.17%)**	**603**	**435.91 (72.29%)**

4.13 इस्पात मंत्रालय के सचिव ने दिनांक 27.02.2023 को साक्ष्य के दौरान समिति को बताया:

" यदि आप सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रम का उत्पादन देखें, तो यह पिछले वर्ष की तुलना में 2.1 प्रतिशत कम हो गया था। इसका मुख्य कारण आरआईएनएल में कम उत्पादन था।"

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से समिति को यह बताया गया है कि आरआईएनएल के शुद्ध उत्पादन आँकड़े निम्नवत हैं:-

तालिका 12

उत्पादन	2020-21	2021-22	2022-23*
गर्म धातु	4682	5774	3106

कच्चा इस्पात	4302	5272	2909
बिक्री योग्य इस्पात	4163	5138	2722

*दिसम्बर, 2022 तक अस्थायी

4.14 आरआईएनएल ने अप्रैल, 2022 से दिसंबर, 2022 की अवधि के दौरान 15,618 करोड़ रुपये (अस्थायी) का कारोबार दर्ज किया और दिसंबर, 2022 तक कंपनी को 2,927 करोड़ रुपये (अस्थायी) का शुद्ध घाटा हुआ। समिति को यह भी बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय कम नहीं हुआ है और उपयोग 100% से अधिक हुआ है।

<u>एनएमडीसी लिमिटेड</u>

4.15 एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, एक "नवरत्न" सीपीएसई है, जो मुख्य रूप से इस उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने हेतु खनिजों की खोज और खदानों के विकास के व्यवसाय में लगी हुई है । यह इस्पात बनाने और अन्य मूल्य वर्धित उत्पादों की दिशा में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रहा है। एनएमडीसी देश में बैलाडिला (छत्तीसगढ़) और दोणिमलाई (कर्नाटक) में बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खदानों का संचालन करती है । एनएमडीसी का हीरा खदान पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है, एनएमडीसी की स्पंज आयरन यूनिट पलोंचा, तेलंगाना में और 1.2 एमटी क्षमता का पेलेट संयंत्र कर्नाटक में स्थित है।

4.16 मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, एनएमडीसी के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

- 26.69 एमटी लौह अयस्क का उत्पादन (दिसम्बर, 2022 तक) हुआ है ।
- कुल बिक्री 25.81 एमटी (दिसम्बर, 2022 तक) दर्ज की गयी ।
- रु. 11,816 करोड़ का कारोबार (दिसम्बर, 2022 तक) दर्ज किया गया ।
- **रु. 4,351 करोड़ की पीबीटी (दिसम्बर, 2022 तक) दर्ज की गयी ।**
- **रु. 3,252 करोड़ की पीएटी (दिसम्बर, 2022 तक) दर्ज की गयी ।**

4.17 एनएमडीसी लिमिटेड के आईईबीआर/पूँजी परिव्यय के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया:-

तालिका 13

(करोड़ रुपये में)

	वित्त वर्ष 2020-21			वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2022-23		
तिमाही	आईईबीआर लक्ष्य	वास्तविक व्यय	लक्ष्य का %	आईईबीआर लक्ष्य	वास्तविक व्यय	लक्ष्य का %	आईईबीआर लक्ष्य	वास्तविक व्यय जनवरी) तक 23	लक्ष्य का %
कुल	2249	2031	90.31%	3,720	2,849	76.6%	2,012	1,067	69.2%

एनएमडीसी में वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 14

मदें	2020-21	2021-22	2022-23*
लौह अयस्क (एमटी में)	34.15	42.19	26.69

* दिसंबर, 2022 तक अस्थायी

4.18 समिति को बताया गया है कि एनएमडीसी की प्रमुख विस्तार पहलें संक्षिप्त में निम्नवत हैं:-

- एनएमडीसी नगरनार, जगदलपुर के निकट, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ में 3.0 एमटीपीए का एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है । यह संयंत्र पूर्ण होने के उन्नत चरण में है । 28.10.2022 को कोक पुशिंग के साथ चरणबद्ध तरीके से इसका परिचालन आरंभ कर दिया गया है ।

- एनएमडीसी ने स्लरी पाइपलाइन परियोजना का निर्माण आरंभ कर दिया है जिसमें नगरनार में 2.0 एमटीपीए का पेलेट प्लांट, बचेली में 2.0 एमटीपीए का अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र और बचेली से नगरनार तक 130 किलोमीटर की स्लरी पाइपलाइन और छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी सहायक प्रणालियां सम्मिलित हैं । प्रमुख पैकेज, जैसे स्लरी

पाइपलाइन बिछाने का पैकेज, स्लरी पंप हाउस पैकेज, नगरनार में पेलेट प्लांट का तकनीकी पैकेज और मुख्य सबस्टेशन पैकेज दिए गए हैं और साइट पर काम चल रहा है। एनएमडीसी बचेली में अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र के लिए एजेंसी तय करने की प्रक्रिया में है ।

- एनएमडीसी ने किरंदुल कॉम्प्लेक्स, बैलाडिला, छत्तीसगढ़ में 12.0 एमटीपीए की स्क्रीनिंग प्लांट-III की स्थापना आरंभ कर दी है । ड्राई सर्किट पैकेज, वेट सर्किट पैकेज, आरडब्ल्यूएलएस पैकेज, सबस्टेशन पैकेज, बिल्डिंग पैकेज, जैसे प्रमुख पैकेज प्रदान किए गए हैं और कार्य प्रगति पर है ।
- एनएमडीसी निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं को स्थापित करके अपनी उत्पादन और निकासी क्षमता को बढ़ाने की प्रक्रिया में भी संलग्न है:

  - ❖ वर्तमान के स्क्रीनिंग प्लांट में 5वीं स्क्रीनिंग लाइन का निर्माण और डिपॉजिट-5, बचेली कॉम्प्लेक्स, बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम का उन्नयन प्रगति पर है।
  - ❖ डोनिमलाई कॉम्प्लेक्स, कर्नाटक में 7.0 एमटीपीए की स्क्रीनिंग और बेनिफिशिएशन प्लांट- II की स्थापना: परियोजना के लिए एनएमडीसी वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया में है । समानांतर रूप से निविदा प्रलेखों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है ।
  - ❖ किरंदुल-कोट्टावलासा रेलवे लाइन का दोहरीकरण, किरंदुल से जगदलपुर (लगभग 150 किलोमीटर) एनएमडीसी द्वारा वित्तपोषित जमा राशि के आधार पर ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा किया जा रहा है । जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक कुल 106 किलोमीटर रेलवे लाइन का दोहरीकरण चालू हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है, किरंदुल से बचेली 9.5 किलोमीटर का दोहरीकरण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है । बचेली से दंतेवाड़ा तक शेष 34.5 किलोमीटर का दोहरीकरण मार्च 2024 तक उत्तरोत्तर रूप से पूरा करने की योजना है ।

- ❖ किरंदुल तथा दोणिमलै में उपनगर परियोजनाओं के लिए लगभग 152करोड़ रु. की परिकल्पना की गई थी। तथापि प्राधिकारियों से अनुमतियां अभी प्राप्त होनी हैं। किरंदुल के लिए उपनगर पैकेज अक्तूबर, 2022 में दे दिया गया है तथा फरवरी/मार्च, 2023 तक अनुमतियां प्राप्त होने की आशा है।

<u>एमओआईएल लिमिटेड</u>

4.19 इस्पात मंत्रालय के अनुसार, एमओआईएल एक शेड्यूल-ए, मिनी रत्न श्रेणी-I का एक सीपीएसई है। एमओआईएल घरेलू उत्पादन में लगभग 48% की हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है । वर्तमान में, एमओआईएल ग्यारह खदानों का संचालन करती है, सात महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में और चार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हैं । बस एक को छोड़कर, एमओआईएल की सभी खदानें लगभग एक सदी पुरानी हैं । सात खदानों में भूमिगत विधि से कार्य किया जाता है और शेष 4 खदानों में ओपनकास्ट विधि से कार्य किया जाता है।

4.20 वर्ष 2022-23 के लिए एमओआईएल के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

- 8.99 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन (अस्थायी, दिसम्बर 2022 तक) दर्ज किया गया ।
- कंपनी की कुल आय रु. 961.65 करोड़ (अस्थायी, दिसम्बर 2022 तक) थी ।
- रु. 227.02 करोड़ की पीबीटी (अस्थायी दिसम्बर 2022 तक) दर्ज की गयी ।
- रु. 169.89 करोड़ की पीएटी (अस्थायी दिसम्बर 2022 तक) दर्ज की गयी ।
- कंपनी को दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, रु. 2141.51 करोड़ और दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, रु 2246 .करोड़ की कुल आय हुई ।

4.21 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति को निम्नवत बताया:-

कंपनी का नियोजित परिव्यय और वास्तविक उपयोग के बारे में

विगत तीन वर्षों के दौरान कुल और परियोजना परिव्यय

तालिका 15

(करोड़ रु. में)

परियोजना का नाम	2020-21		2021-22		2022-23	
	नियोजित परिव्यय	**वास्तविक उपयोग**	**नियोजित परिव्यय**	**वास्तविक उपयोग**	**नियोजित परिव्यय**	**वास्तविक उपयोग (जनवरी-23 तक)**
मनसर खदान में दूसरे वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग	2.50	6.55	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उकवा खदान में दूसरे वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग।	5.00	15.91	10.00	18.51	7.00	7.66
बालाघाट खदान में एचएसएस की सिंकिंग।	15.00	6.15	60.00	27.92	28.44	20.37
गुमगांव खदान में एचएसएस की सिंकिंग।	10.00	1.35	50.00	6.9a5	39.56	27.34
उप योग (परियोजनाएं)	32.50	29.96	120.00	53.38	75.00	55.37
खदानों/संयंत्रों का आधुनिकीकरण	18.10	0.00	15.28	9.69	27.99	13.01
एएमआर और अनुसंधान व विकास)आर एंड डी(	169.40	106.70	158.43	152.51	139.59	96.69
कुल	220.00	136.66	293.71	215.58	242.58	165.07

4.22 मॉयल लि. के लिए संशोधित अनुमान और उसके द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के ब्यौरों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित आँकड़े दिए हैं:-

तालिका 16 (करोड़ रु. में)

	वित्त वर्ष 2020-21			वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2022-23		
तिमाही	आईईबीआर लक्ष्य [संप्रा]	वास्तविक व्यय	लक्ष्य का %	आईईबीआर लक्ष्य [संप्रा]	वास्तविक व्यय	लक्ष्य का %	आईईबीआर लक्ष्य [संप्रा]	वास्तविक व्यय (जनवरी'23	लक्ष्य का %

								तक)	
पहली	34.87	13.80	39.57	23.23	31.50	136%	49.38	49.38	100%
दूसरी	43.99	32.98	74.98	74.49	57.32	77%	48.06	48.06	100%
तीसरी	64.39	27.12	42.12	83.99	67.85	81%	38.73	41.57	107%
चौथी	76.75	62.76	81.77	34.92	58.91	169%	106.41	26.06	24.49%
कुल	220.00	136.66	62.12	216.63	215.58	100%	242.58	165.07	65.05%

परिव्यय के कम उपयोग के कारण:

4.23 बालाघाट हाई स्पीड शाफ्ट (एचएसएस) परियोजना: एचएसएस परियोजना को एक चीनी कंपनी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मार्च, 2020 तक की प्रगति संतोषजनक थी। प्रवासी जून'20 में टीकाकरण के लिए चीन गए थे। इसके बाद इन प्रवासियों के वीजा को लेकर भी दिक्कतें आईं और सिंकिंग कार्य अप्रैल-2021 से ही शुरू हो सका। इसके अलावा, दिनांक 17.11.2021 को 26वें स्तर (680 मीटर) पर लोडिंग चेंबर के निर्माण के दौरान पानी की भारी मात्रा में घुस आने की समस्या का सामना करना पड़ा। इसलिए 17.11.2021 से काम बंद है। शाफ्ट की डीवाटरिंग और शाफ्ट पर प्री-ग्राउट की व्यवस्था 12.06.2022 को पूरी कर ली गई थी। हालाँकि, प्रीग्राउट के बाद, पानी की बढ़ती हुई मात्रा को फिर से देखा गया, इसलिए प्रीग्राउट का दूसरा चरण प्रगति पर है।

4.24 गुमगाँव हाई स्पीड शाफ्ट परियोजना: एचएसएस परियोजना को उसी चीनी कंपनी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, जो बालाघाट में है। मार्च, 2020 तक की प्रगति संतोषजनक थी। प्रवासी जून'20 में टीकाकरण के लिए चीन गए थे। इन सदस्यों का सितंबर 20 तक लौटना अपेक्षित था लेकिन वे अंततः नवंबर 21 में आए। इस अवधि के दौरान परियोजना पर भौतिक गतिविधियां शून्य थीं। यहां भी प्रवासियों के वीजा को लेकर गम्भीर समस्या थी। शाफ्ट सिंकिंग का काम 18.12.2021 को फिर से शुरू किया जा सका जोकि अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सामान्य गति से चल रहा है। पूरी गहराई तक शाफ़्ट सिंकिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा इस परियोजना में भूमिगत अधोसंरचना विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

4.25 उकवा में दूसरी वर्टिकल शाफ्ट परियोजना: आदिवासी भूमि अधिग्रहण के मुद्दों पर समस्या के कारण परियोजना में शुरुआत में देरी हुई। कोविड-19 महामारी के कारण, प्रगति मुख्य रूप से मार्च'20-मई'20 और अप्रैल'21-मई'21 में बाधित हुई। शाफ़्ट सिंकिंग और कमीशनिंग अब पूरा हो चुका है और संबद्ध उत्खनन कार्य प्रगति पर है और मार्च'23 तक पूरा हो जाएगा। चूंकि शाफ्ट कमीशनिंग का काम पूरा हो गया है, इस शाफ्ट से उत्पादन दिसंबर 2022 से शुरू हो गया है जो धीरे-धीरे बढ़ेगा।

4.26 उत्पादन का प्रदर्शन संक्षेप में निम्नवत है:-

तालिका 17

मापदंड	2020-21	2021-22	2022-23*
मैंगनीज अयस्क (लाख मीट्रिक टन)	11.43	12.31	8.99
ई.एम.डी. (मीट्रिक टन)	1070	1202	808
फेरो मैंगनीज (मीट्रिक टन)	8851	10245	7363

*अस्थायी, दिसंबर, 2022 तक

केआईओसीएल लिमिटेड

4.27 केआईओसीएल लिमिटेड इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत, एक अनुसूची-ए, मिनी रत्न श्रेणी-I का सीपीएसई है, जिसे 02.04.1976 को कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु जिले में कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान से निम्न श्रेणी के मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन और लाभकारी बनाने के उद्देश्य से सम्मिलित किया गया था । भारत सरकार के पास इसकी 99.03% इक्विटी है । कंपनी वर्तमान में मंगलुरु में 3.5 एमटीपीए का पेलेटाइजेशन संयंत्र और 0.216 एमटीपीए का मिनी-ब्लास्ट फर्नेस इकाई की विनिर्माण सुविधाओं से लौह अयस्क के पेलेट्स और फाउंड्री ग्रेड के पिग आयरन के निर्माण और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है ।

4.28 वर्ष 2022-23 के लिए केआईओसीएल लिमिटेड के मुख्य अंश निम्नवत हैं:-

- दिसम्बर, 2022 तक 8.340 लाख टन लौह अयस्क के पेलेट का उत्पादन हुआ ।

- दिसम्बर , 2022 तक 7.648 लाख टन लौह अयस्क के पेलेट की बिक्री हुई ।
- दिसम्बर, 2022 तक रु. 815.05 करोड़ का कारोबार हुआ ।
- रु. (-)181.64 करोड़ की पीबीटी/पीएटी (अस्थायी, दिसम्बर, 2022 तक) दर्ज की गयी है।

4.29 मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केआईओसीएल का वास्तविक कार्यनिष्पादन और वित्तीय कार्यनिष्पादन संक्षेप में निम्नवत है:-

तालिका 19

(मिलियन टन में)

दिवरण	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
लौह अयस्क पेलेट्स का उत्पादन	2.210	2.030	0.834
लौह अयस्क पेलेट्स की बिक्री	2.311	2.072	0.765

*अस्थायी, दिसंबर, 2022 तक

4.30 यह पूछे जाने पर कि केआईओसीएल के वर्तमान वित्त वर्ष के लिए समग्र कैपेक्स का लक्ष्य क्या है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में समिति की निम्नवत बताया:-

तालिका 20

परियोजना का नाम	2020-21		2021-22		2022-23 जनवरी, 2023 तक	
	नियोजित कैपेक्स	वास्तविक कैपेक्स	नियोजित कैपेक्स	वास्तविक कैपेक्स	नियोजित कैपेक्स	वास्तविक कैपेक्स
देवदारी लौह अयस्क खान	105.00	1.81	400.00	174.61	220.00	350.01
बीएफयू, मंगलूरु कर्नाटक के साथ फॉरवर्ड	125.00	2.42	63.60	28.21	127.14	20.82

और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्थापना						
पैलेट प्लांट यूनिट में वर्टिकल प्रेशर फिल्टरों का इंस्टालेशन	80.00	3.57	120.00	65.69	12.49	16.52
विविध	32.00	33.25	70.00	21.94	25.00	19.26
कुल	342.00	41.05	653.60	290.45	384.63	406.61

निम्न उपयोग के कारण

- **देवदारी खान:** चूंकि सांविधिक मंजूरियाँ जनवरी, 2023 में प्राप्त हुई, वित्त वर्ष 2020-21 और 2022-23 के लिए कैपेक्स प्राप्त नहीं किया जा सका। अवसंरचना विकास के लिए रोड मैप प्रगति पर है।

- **बीएफयू, मंगलूरु कर्नाटक में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की स्थापना**

  क) कोक ओवन संयंत्र की स्थापना और चालू किया जाना: जैसा कि एनआरएचआर कोक ओवन को मैसर्स सीआईएमएफआर द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत प्रदान की गई स्वदेशी तकनीक के साथ विकसित किया जा रहा है। चूंकि डिजाइन और इंजीनियरिंग उपकरण परियोजना की आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट हैं, कार्यों के निष्पादन में देरी हो रही है और पूंजीगत व्यय लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका है। अग्निरोधी ईंटों और मुख्य उपकरणों के प्रमुख पूंजीगत व्यय घटकों की आपूर्ति और मार्च-2023 के अंत तक साइट पर पहुंचने की उम्मीद है।

- **पैलेट प्लांट यूनिट में वर्टिकल प्रेशर फिल्टरों का इंस्टालेशन:** ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के कारण, लेआउट में बदलाव, साइट तकनीकी मुद्दों के कारण परियोजना में देरी हुई। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण संसाधन जुटाना, कार्यों के निष्पादन में देरी हुई। चालू वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित पूंजीगत व्यय हासिल कर लिया गया है।

टिप्पणियाँ और सिफारिशें

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय प्रावधान

1. समिति नोट करती है कि वर्ष 2023-24 के लिए इस्पात मंत्रालय के लिए अनुदानों की कुल मांग 70.15 करोड़ रुपये है, जिसमें से 67.98 करोड़ रुपये मंत्रालय के राजस्व खंड के तहत हैं और 2.17 करोड़ रुपये पूंजी खंड के तहत हैं। मांग में सचिवालय व्यय के लिए 43.64 करोड़ रुपये (राजस्व खंड- 41.47 करोड़ रुपये और पूंजी खंड- 2.17 करोड़ रुपये); केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 24.00 करोड़ रुपये और अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय के लिए 2.51 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) 57 करोड़ रुपये था। समिति ने नोट किया है कि देश की योजना 2030 तक, इस्पात उत्पादन की क्षमता को 143 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 300 मिलियन टन करने की है और इससे अर्थव्यवस्था के विकास वक्र में अंतर्दृष्टि मिलती है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस्पात न केवल अवसंरचना परियोजनाओं में बल्कि ग्रामीण आवास, पेयजल मिशन, सिंचाई आदि जैसी सामान्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति महसूस करती है कि इस्पात मंत्रालय के बजटीय प्रावधान में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन को बढ़ाने वाले बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकीय आर्थिक मापदंडों में सुधार आदि जैसे मंत्रालय के प्रमुख कार्यों पर ध्यान दिया जाए और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक नई योजनाओं को भी शुरू किया जाए।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

2. लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना

समिति नोट करती है कि लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की योजना वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी और तब से यह योजना जारी है। इस योजना का उद्देश्य देश में लौह और इस्पात क्षेत्र की अनुसंधान एवं विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना 31 मार्च, 2021 से आगे को 5 वर्षों (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गयी है। समिति नोट करती है कि इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान 4.49 करोड़ रुपये था । वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 10 करोड़ रुपये रखा गया है।

समिति का मानना है कि लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास न केवल वर्ष 2030 तक 300 मीट्रिक टन लौह अयस्क उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बल्कि विशेष इस्पात वस्तुओं के घरेलू स्तर पर उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। समिति ने अपनी पहले की सिफारिश को दोहराते हुए कि चूंकि, अनुसंधान और विकास किसी उद्योग की उपलब्धता और संभावित संसाधनों के संशोधन, सुधार और विस्तार की नींव रखता है, इसलिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए मंत्रालय को पर्याप्त धन आवंटित किया जाना चाहिए; समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों/निजी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों द्वारा चलाई जा रही और आगामी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करें।

समिति यह भी जानना चाहती है कि क्या वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और देश की प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के बीच संयुक्त उद्यम संभव है ताकि प्रौद्धोगिकीय प्रगति, स्वदेशी विकास और घरेलू इस्पात उद्योग के विकास के साझा लक्ष्य को पाने के लिए एक साथ मिलकर कोशिश की जा सके। समिति को इस मामले में उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया जाए।

भारत में व्यापारिक जहाजों के रजिस्ट्रेशन (फ्लैगिंग)को बढ़ावा देना

3. समिति को बताया गया है कि इस्पात मंत्रालय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के लिए भारत में व्यापारिक जहाजों के रजिस्ट्रेशन (फ्लैगिंग) को बढ़ावा देने की योजना कार्यान्वित कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए, यह योजना सरकारी कार्गो के आयात के लिए मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है। यह योजना पांच साल की अवधि के लिए यानी 2021-22 से 2025-26 तक लागू है। वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए संशोधित अनुमान 12 करोड़ रुपये है और इस योजना के लिए वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 14 करोड़ रुपये रखा गया है। इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 के लिए, प्रस्तावित जीबीएस 41.50 करोड़ रुपये होने की संभावना है। यह देखते हुए कि यह एक नई योजना है, समिति चाहती है कि मंत्रालय योजना का कार्यान्वयन और उसके लाभों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करे। समिति का यह भी मानना है कि वर्ष 2023-24 के लिए यह योजना बहुत अच्छी तरह से शुरू होगी और जिस विजन के लिए इसे शुरू किया गया है उसे पूरा करेगी।

विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना

4. समिति यह भी नोट करती है कि सरकार ने विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है और मंत्रिमंडल ने इसके लिए 632 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2023-24 (पीएलआई वित्त वर्ष 2024-25 में जारी की जाएगी) से शुरू होने वाली है। विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत चुनी गई 30 कंपनियों के 67 आवेदनों में से 57 समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है । समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि 25 मिलियन टन की डाउनस्ट्रीम क्षमता के साथ 29,530 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध निवेश आकर्षित होगा और 70,000 रोजगार सृजन की क्षमता होगी। समिति को यह बताया गया है कि वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना के अंतर्गत 775 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा जाएगा । इस योजना का उद्देश्य "विशेष ग्रेड इस्पात" क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश को प्रोत्साहित और आकर्षित करना है, ताकि न केवल ऐसे इस्पात के आयात संबंधी निर्भरता से बचा जा सके बल्कि अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात भी किया जा सके। समिति ने अपने 28वें प्रतिवेदन, 17वीं लोक सभा में महसूस किया था कि यह सही दिशा में लिया गया कदम है। सरकार की पहल की पुन: सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि उसे अब तक अंतिम रूप दिए गए 57 समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन संबंधी कार्य योजना से अवगत कराया जाए।

डीएमआई और एसपी नीति

5. समिति सरकारी खरीद में घरेलू रूप से विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पादों (डीएमआई और एसपी नीति, 2017) को वरीयता देने के लिए मंत्रालय की नई नीति की सराहना करती है। यह नीति विनिर्मित लौह और इस्पात 49 उत्पादों की सूची को कवर करती है। यह नीति लौह और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण हेतु पूंजीगत माल को भी कवर करती हैं। जबकि पहले, लौह और इस्पात के 49 उत्पादों में घरेलू सामग्री को 15-50 प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया था जिससे सरकारी अनुबंधों के लिए घरेलू बोलीदाताओं के साथ आयातित इस्पात का प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। प्रत्येक मंत्रालय या सरकार का विभाग और उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी एजेंसियां/संस्थाएं इस्पात मंत्रालय द्वारा अधिसूचित डीएमआई और एसपी

नीति के दायरे में आते हैं। सभी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस) /केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) जिनके लिए राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा खरीद की जाती है, तो वे इस नीति के दायरे में आती हैं यदि उक्त परियोजना/योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णत:/आंशिक रूप से वित्तपोषित की जाती है।

समिति का मानना है कि 20-50 प्रतिशत के विहित मूल्य वाले 49 उत्पादों की नई सूची देश को 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है और यह देश में इस्पात क्षेत्र के विकास को बड़े स्तर पर बढ़ावा देगी। समिति चाहती है कि उक्त योजना में अब तक हासिल की गई सफलता से उसे अवगत कराया जाए।

<u>कोकिंग कोल के आयात बिल को कम करना</u>

6. समिति यह पाती है कि कोकिंग कोल इस्पात उत्पादन में एक प्रमुख लागत घटक है जो कि 42 प्रतिशत है, इस्पात मंत्रालय आयात के नियत स्थानों में विविधता लाकर कोकिंग कोल संबंधी आयात बिल को कम करने के प्रयास कर रहा है। कोकिंग कोल के संबंध में सहयोग के लिए इस्पात मंत्री, भारत सरकार और ऊर्जा मंत्री, रूसी संघ ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जो इस्पात बनाने में उपयोग होता है। ये समझौता ज्ञापन कोकिंग कोल के स्रोतों में विविधता लाकर भारतीय इस्पात क्षेत्र को लाभान्वित करेगा और भारत को उच्च गुणवत्ता वाले कोकिंग कोल की आपूर्ति की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता (2035 तक 40 मीट्रिक टन तक) के कारण इस्पात कंपनियों की आदान लागत में कमी आ सकती है। समिति मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना करते हुये कि यह कोकिंग कोल संबंधी आयात बिल को कम करने में काफी मदद करेगा, चाहती है कि उसे इस दिशा में उठाए गए कदमों और अपनाई गई रणनीति से अवगत कराया जाए।

<u>भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल)</u>

7. समिति नोट करती है कि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान चरण में सेल के 6803 करोड़ रुपए के नियोजित आईईबीआर की तुलना में जनवरी, 2023 तक 3783 करोड़ रुपए का वास्तविक उपयोग किया गया है। समिति नोट करती है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण

लिमिटेड (सेल) ने भिलाई, बोकारो, राउरकेला, दुर्गापुर, बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सलेम स्थित विशेष इस्पात संयंत्र के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार योजना (एमईपी) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कच्चे इस्पात उत्पादन की क्षमता प्रति वर्ष 12.8 मिलियन टन से बढ़ाकर प्रति वर्ष 21.4 मिलियन टन करने की परिकल्पना की गई थी।

इस्पात मंत्रालय के वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांग की जांच करते हुए समिति ने अपने 28वें प्रतिवेदन में पाया कि सेल के निदेशक मंडल ने सैद्धांतिक रूप से 'विजन 2030' को मंजूरी दी थी जिसमें 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से सेल की कच्चे इस्पात उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 49.6 एमटी प्रति वर्ष करने की परिकल्पना की गई थी। इन अनुमानों पर विचार करते हुए और 2030-31 तक 49.6 एमटी प्रति वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने में सेल की क्षमता और जिम्मेदारी को मानते हुए, समिति ने निदेश दिया था कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेल के क्षमता विस्तार के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाए। समिति चाहती है कि इस दिशा में सेल द्वारा की गई प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

<u>राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)</u>

8. समिति पाती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान आर आई एन एल ने 435.91 करोड़ रुपये (जनवरी, 2023 तक) का उपयोग किया है, जो प्रस्तावित योजना परिव्यय का 72.29प्रतिशत है। समिति यह भी पाती है कि आरआईएनएल ने 2.909 एमटी कच्चे इस्पात का उत्पादन और 2.722 एमटी बिक्री योग्य उत्पादन किया है। योजना परिव्यय का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए मंत्रालय/आरआईएनएल द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए, समिति सिफारिश करती है कि आरआईएनएल को अपनी संस्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग और निधियों का कुशलता से उपयोग करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। समिति चाहती है कि आरआईएनएल द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किए गए प्रयासों से उसे अवगत कराया जाए।

एनएमडीसी लिमिटेड

9. समिति पाती है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान 34.15 एमटी और 42.19 एमटी के लौह अयस्क उत्पादन की तुलना में दिसंबर, 2022 तक वास्तविक उत्पादन 26.69 एमटी है। समिति को सूचित किया गया कि एनएमडीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 में 3,252 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2022 तक) के कर पश्चात लाभ के साथ 11,816 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया है। कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की सराहना करते हुए समिति, सिफारिश करती है कि इस्पात मंत्रालय/एनएमडीसी लिमिटेड यह सुनिश्चित करे कि लक्ष्यित वास्तविक उत्पादन को प्राप्त किया जाए और योजना परिव्यय पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए।

10. समिति को सूचित किया गया कि किरंदुल और दोणिमलै में टाउनशिप परियोजनाओं के लिए लगभग 152 करोड़ रुपये की परिकल्पना की गई थी। अक्टूबर, 2022 में किरंदुल के लिए टाउनशिप पैकेज अक्टूबर, 2022 में प्रदान किया गया था और फरवरी/मार्च-2023 तक अपेक्षित मंजूरी प्राप्त हो गई है। समिति आशा करती है कि एनएमडीसी लिमिटेड इस परियोजना को तेजी से पूरा करेगा और परियोजना के त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बजटीय संसाधनों का उपयोग करेगा ।

केआईओसीएल लिमिटेड

11. चालू वित्त वर्ष के लिए निधियों के वास्तविक उपयोग की तुलना में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नियोजित आईईबीआर के ब्यौरे की जांच करते समय समिति नोट करती है कि केआईओसीएल के 384 करोड़ रुपये के नियोजित आईईबीआर की तुलना में वास्तविक उपयोग 406 करोड़ रुपये था। समिति यह भी पाती है कि 2022-23 के दौरान 220 करोड़ रुपये के कैपेक्स की तुलना में देवदारी लौह अयस्क खानों के लिए, जनवरी 2023 तक वास्तविक उपयोग 350 करोड़ रुपये है और इस परियोजना के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रोडमैप का कार्य प्रगति पर है। जहां तक आत्मनिर्भर भारत के पहल के अंतर्गत केआईओसीएल लिमिटेड मंगलौर, कर्नाटक द्वारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कोक ओवन प्लांट की स्थापना का संबंध है, समिति को यह जानकारी दी गई कि परियोजना के आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन और उपकरण विशिष्ट हैं। समिति का यह मत है कि चूंकि यह परियोजना मंत्रालय के आत्मनिर्भर

योजना के तहत विकसित की जा रही है, इसलिए इसे सफल बनाने के उपाय करने चाहिए। समिति आशा करती है कि वर्ष 2023-24 के लिए केआईओसीएल की सभी चल रही परियोजनाओं के लिए पूंजीगत और वास्तविक लक्ष्यों को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया जाए।

समग्र कार्यनिष्पादन

12. समिति घरेलू इस्पात उत्पादन में वृद्धि करने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने और इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने, अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उपयोग, गुणवत्ता नियंत्रण और प्रौद्योगिकी-आर्थिक मापदंडों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करके इस्पात मंत्रालय के विजन और उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे उद्देश्यों की सराहना करती है। इसके अलावा, मंत्रालय न केवल सीपीएसई के भौतिक तथा वित्तीय कार्यनिष्पादन और परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय की निगरानी कर रहा है बल्कि निजी क्षेत्र को भी समान अवसर प्रदान कर रहा है।

समिति को आशा है कि सेल और एनएमडीसी लिमिटेड जैसे पीएसयू अपने उत्पादन लक्ष्यों में उत्कृष्टता हासिल करना जारी रखेंगे और इस्पात क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देंगे। सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और डीएमआई और एसपी नीति योजना भी इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगी। समिति यह भी आशा करती है कि वर्ष 2023-24 के दौरान मंत्रालय के ठोस प्रयासों और निगरानी से सभी भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा।

नई दिल्ली;
15 मार्च, 2023
24 फाल्गुन, 1944 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

अनुबंध-एक

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की सोमवार, 27 फरवरी, 2023 को समिति कक्ष संख्या '2', ब्लॉक-ए, प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक 1100 बजे से 1310 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राकेश सिंह - सभापति

लोक सभा

2. श्री चुन्नीलाल साहू
3. श्री खान सौमित्र
4. श्री सुनील कुमार सिंह
5. श्री सुशील कुमार सिंह
6. श्री पशुपति नाथ सिंह

राज्य सभा

7. श्रीमती महुआ माजी
8. श्री रवंगवारा नारजारी
9. श्री समीर उरांव
10. सुश्री सरोज पांडे
11. श्री धीरज प्रसाद साहू

सचिवालय

1.	श्री जे. एम. बैसाख	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री अरविंद शर्मा	-	निदेशक
3.	श्रीमती सविता भाटिया	-	उप सचिव

साक्षी

इस्पात मंत्रालय

1. श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, सचिव
2. श्रीमती सुकृति लिखी, अपर सचिव और एफए
3. श्रीमती रुचिका चौधरी, अपर सचिव
4. श्री अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रम

5. श्रीमती सोमा मंडल, चेयरमैन, सेल
6. श्री अतुल भट्ट, सीएमडी, आरआईएनएल
7. श्री अमिताव मुखर्जी, निदेशक (वित्त) एनएमडीसी
8. श्री अजीत कुमार सक्सेना, सीएमडी, मॉयल
9. श्री संजय कुमार वर्मा, निदेशक (वाणिज्य), मेकॉन
10. श्री सुरिंदर कुमार गुप्ता सीएमडी, एमएसटीसी
11. श्री टी. सामीनाथन सीएमडी, केआईओसीएल

2. सर्वप्रथम, सभापति ने अनुदानो की मांगों (2023-24) की जांच के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में इस्पात मंत्रालय के सचिव एवं अन्य प्रतिनिधियों और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात् सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'लोक सभा अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 55 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद, उन्होंने प्रतिनिधियों को अपना परिचय देने के लिए कहा।

3. इसके बाद, इस्पात मंत्रालय के सचिव ने समिति को देश में इस्पात क्षेत्र के लिए समन्वयकों और योजनाकारों के रूप में अपनी भूमिका और चालू वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय की प्रगति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि इस वर्ष के दौरान, इस्पात उद्योग में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक 100 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, जो गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 6.5% अधिक है। इस्पात उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान है और लगभग 80 लाख व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष

रूप से इस्पात क्षेत्र में लगे हुए हैं। समिति को बताया गया कि मंत्रालय 'घरेलू रूप से निर्मित लौह और इस्पात नीति' को लागू करके देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत **57** समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं और निकट भविष्य में करीब **29,300** करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। इस्पात सचिव ने बताया कि इस्पात उत्पादन में लौह अयस्क और कोकिंग मुख्य अवयव होने के कारण, मंत्रालय इन क्षेत्रों में भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहा है। घरेलू जरूरतों के लिए कोकिंग कोयले के आयात के लिए रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. तत्पश्चात्, माननीय सभापति ने इस्पात मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए चालू वित्त वर्ष के दौरान इस्पात मंत्रालय और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा योजना परिव्यय के उपयोग, पीएलआई योजना को कार्यान्वित करने में आ रही बाधाओं, अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यों के लिए निधियों के आवंटन; सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात उपक्रमों का कार्य-निष्पादन, उनके निष्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित विषयों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे। सदस्यों ने इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों **(2023-24)**, सरकारी क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों के कार्य-निष्पादन और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनके द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा।

5. मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया। तत्पश्चात् सभापति ने इस्पात मंत्रालय के प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि समिति की बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जा सके, उनके लिखित उत्तर पांच दिनों के भीतर प्रस्तुत करें।

6. माननीय सभापति ने समिति के सदस्यों और मंत्रालय तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों को समिति की बैठक में सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

बैठक के शब्दशः रिकार्ड की एक प्रति अलग से रखी गई है।

अनुबंध -दो

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की 15 मार्च, 2023 को 1530 बजे से 1630 बजे तक माननीय सभापति के कक्ष, कमरा नं '210', बी-ब्लॉक, संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में आयोजित छठी बैठक का कार्यवाही सारांश।

सभापति - श्री राकेश सिंह

लोक सभा

2. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्री अजय निषाद
7. श्री एस.आर.पार्थिबन
8. श्रीमती रीती पाठक
9. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
10. श्री सुनील कुमार सिंह
11. श्री पशुपति नाथ सिंह
12. श्री अशोक कुमार यादव

राज्य सभा

13. श्री रवंगवरा नारजारी
14. श्री समीर उरांव
15. श्री दीपक प्रकाश
16. श्री आदित्य प्रसाद
17. श्री बीलिंगैय्या यादव .

सचिवालय

1. श्री जे.एम. बैसाख - संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा - निदेशक
3. श्रीमती सविता भाटिया - उप सचिव

2. सर्वप्रथम सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और कुछ संशोधनों के साथ उन्हे स्वीकार किया :-

(i) *** *** *** ***;
(ii) *** *** *** ***;
(iii) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में प्रारूप प्रतिवेदन

4. तत्पश्चात् समिति ने सभापति को संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापन के आलोक में प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए अधिकृत किया।

5. *** *** *** ***

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।

---

* **प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है।**